

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 55/2020-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 27 जून, 2020

सा.का.नि. ....(अ).-- सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 235 (अ), तारीख 3 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 35/2020-केंद्रीय कर, तारीख 3 अप्रैल, 2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा के खंड (i) में,—

- (i) “जून, 2020 के 29वें” अंकों और शब्दों के स्थान पर “अगस्त, 2020 के 30वें” अंक और शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) “जून, 2020 के 30वें” अंकों और शब्दों के स्थान पर “अगस्त, 2020 के 31वें” अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

(फा. सं. सीबीईसी-20/06/08/2020-जीएसटी)

(प्रमोद कुमार)

निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) सं. 35/2020-केंद्रीय कर, तारीख 3 अप्रैल, 2020 में संख्यांक सा.का.नि. 235 (अ), तारीख 3 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि. 362 (अ) तारीख 9 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 47/2020-केंद्रीय कर, तारीख 9 जून, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।